

प्रेषक,

अंकिता सिंह.

अपर सिविल जज (जूंड़िं),
न्यायालय सं० १४, आजमगढ़।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश

आजमगढ़।

सेवा में,

श्रीमान महा निबन्धक

माननीय उच्च न्यायालय

इलाहाबाद।

विषय:- **एल०एल०एम० प्रथम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

ससम्मान निवेदन करना है कि प्राथिनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा से (एल०एल०एम०) विधि स्नातक करना चाहती है। प्राथिनी ने सत्र २०१९-२० के लिए आवेदन न्यायिक सेवा में आने से पूर्व कर दिया था। श्रीमान् जी प्रथम वर्ष एल०एल०एम० सत्र २०१९-२० की परीक्षा माह जून सन् २०२० में सम्भावित है।

उक्त एल०एल०एम० की शिक्षा दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम के तहत है जिसमें शिक्षा ग्रहण हेतु विश्व विद्यालय जाना आवश्यक नहीं है। परीक्षा में शामिल होने से न्यायिक कार्य बाधित नहीं होगा।

अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि उक्त परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक: ०६.०३.२०२०

भवदीया
अंकिता सिंह
06/03/2020

अपर सिविल जज (जूंड़िं),

Office of the District Judge, Azamgarh
Letter No. W.O./J. Date. 06.03.2020
Forwarded for information and necessary action

District Judge
Azamgarh

06.03.2020